5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA COURT FEE बीस रुपये TWENTY RUPEES

(48)

निग 12881/I/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–विदिशा

प्रहलाद पुत्र श्री मोहन सिंह कुर्मी
निवासी – खडेर तहसील नटेरन
जिला–विदिशा (म.प्र.)

.... आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 28.8.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– मोहन सिंह पुत्र श्री सनमान सिंह
2– मुन्नी बाई पत्नी मोहन सिंह
निवासी– खडेर तहसील नटेरन
जिला–विदिशा (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

28/8/15

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक तहसील नटेरन जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 40–41/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम खडेर प.ह.नं.–18 में स्थित भूमि सर्वे नं. 770/1, 771, 772 रकवा क्रमशः 1.108, 0.376, 0.594 के सीमांकन हेतु अनावेदक मोहन सिंह पुत्र सनमान सिंह एवं मुन्नी बाई पत्नी मोहन सिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।
2. यहकि, अनावेदक के आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रकरण क्रमांक पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी उक्त कार्यवाही मे आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना पत्र नहीं दिया गया। जबकि सीमांकन कार्यवाही में मेडिया कृषकों को सूचना पत्र दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत सीमांकन की कार्यवाही कर भूमि आवेदक के कब्जे में बतायी गयी है, किन्तु इस संबंध में उनके समक्ष न तो सीमांकन किया गया है और न ही सीमांकन की कोई जानकारी दी गयी है ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2881-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	